न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 48/2017

1. गीतादेवी पत्नी साधुसिंह
2. कवेलरी उर्फ कविता पुत्री साधुसिंह

जाति कुम्हार निवासी पुरानी आबादी, वार्ड नं. 13 सब्जी मण्डी के पास, श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. सुखवीरसिंह पुत्र करतारसिंह जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं. 14, डॉ0 हेयर के पास, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. जयाउरलाल
3. केसरीचन्द

पिसरान करतारसिंह जाति कुम्हार निवासी लालसिंह थानेदार के घर के पास, वार्ड नं. 15 श्रीगंगानगर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। ——रैस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 226 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 28.02.2017

उपस्थिति:-

श्री विकास बिश्नोई, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री महावीर बारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 11.09.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 261ए के तहत पेश कर चक 10 जेड के मु.नं. 6 के लिए मु.नं. 1 के कि. नं. 11, 20, 21 में से 8½ फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को तलब करने एवं तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाने के आदेश दिये। अप्रार्थी सं. 1 से 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधी. न्यायालय ने दिनांक 28.02.2017 को प्रार्थीगण का प्रा.पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

भूमि में से प्रार्थीगण द्वारा रास्ता चाहा गया है वह संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से प्रा.पत्र एवं अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है, आवेदित रास्ता चालू है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थीगण को रास्ता की आवश्यकता बताया है। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के प्रा.पत्र खारिज कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

रेस्पो. सं. 1 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर वकील अपीलांट की एकतरफा की गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश में यह अंकित है कि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका खण्डन अपीलांट द्वारा नहीं किया गया एवं अपीलांट सहकाश्तकार के रूप में किला विशेष को अपना बताते हुए पृथक से रास्ता चाहता है। इस सम्बन्ध में इस न्यायालय के विनम्र मत में अधीनस्थ न्यायालय का यह अभिमत कि इस हेतु अपीलांट को धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन के उपरान्त किला विशेष स्वयं के पक्ष में होने के पश्चात ही ऐसी मांग करनी चाहिये, विधि अनुकूल है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत संयुक्त खातेदारी की भूमि में से एक सहखातेदार को पृथक से रास्ता स्वीकृत किये जाने का कोई विशिष्ट प्रावधान हो ऐसा अपीलांट द्वारा कथन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर।